


06/08.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन  
पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में कोई  
कार्यवाही नहीं चाही जा रही है वादी व वादी  
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज  
लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन  
उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के  
उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम  
पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद  
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

